सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 744 राँची, गुरुवार, 31 भाद्र, 1938 (श०)
22 सितम्बर, 2016 (ई०)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2016

संख्या-04/आ०-02-1004/2016-4260-- राँची, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर अंतर्गत क्रियान्वित स्वजलधारा योजना के संचालन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप का स्वतः संज्ञान लोकायुक्त झारखण्ड, राँची द्वारा लिया गया एवं मामले की जाँचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री मनोज कुमार चौधरी द्वारा अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, जसीडीह एवं कार्यपालक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर के पद पर पदस्थापन के दौरान स्वजलधारा योजना के मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर योजनाओं के चयन में ग्रामीण की सहभागिता सुनिश्चित नहीं करने पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर सरकारी राशि के गबन करने तथा योजना का अनुश्रवण नही करने के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनका पक्ष प्राप्त कर माननीय लोकायुक्त द्वारा विभिन्न तिथियो को सुनवाई की कार्रवाई की गयी एवं दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को पारित आदेष में श्री चौधरी सहित अन्य दोषी विभागीय अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुषंसा विभाग से की गयी । उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1033 दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री चौधरी एवं अन्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी परन्तु जाँच संचालन पदाधिकारी के बीच में ही सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही पूरी नही हो सकी । इसी बीच एतद् सादृष्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा ॅच्;ब्द्ध छव्ण् द्द 567 ध् 2014 में आरोपी अभियन्ताओं के विरूद्ध पुनः प्रपत्र-क गठित करते हुए नये सिरे से विभागीय

कार्यवाही संचालित करने का आदेश पारित किया गया । इसी दौरान विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखण्ड, राँची के पत्रांक-7728 दिनांक 27 जुलाई, 2016 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध आय से अधिक समपति अर्जित करने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

2. लोकायुक्त झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश एवं भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर सम्यक समीक्षा विभाग स्तर पर सुसंगत नियमों के तहत की गयी एवं श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, जसीडीह सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, बूटी, राँची के विरूद्ध स्वजलधारा योजना के संचालन में विभागीय निर्देश की अवहेलना, पदीय कर्तव्य के विरूद्ध कार्य करना, संबंधित योजनाओं के मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने, सरकारी राशि का गबन एवं अपव्यय करने तथा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने कर निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

3. उक्त वर्णित लिये गये निर्णय के आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो हेतु श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, जसीडीह सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, बूटी, राँची के विरूद्ध सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है ।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शेखर कुमार वर्मा भा०प्र०से० (सेवानिवृत) विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री तनवीर अख्तर, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगें ।

6. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव- बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 744 –50 ।